न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी :– राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रूणीजा

बनाम

अप्रार्थी:– मालाराम पुत्र श्री हरकरण निवासी गिंगोली

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 23/19 निर्णय दिनांक :–09/09/2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रूणीजा ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2076 में सरहद गिंगोली के ख.न. 333 रकबा 0.60 है0 भूमि किस्म गै.मु.नाला में बाड लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी का नोटिस पुत्री से तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाव प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी उपरोक्तानुसार पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौजा गिंगोली के ख.न 333 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु.नाला में अतिक्रमण किया हुआ है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति हैक्टयर से अतिक्रमित भूमि 0.60 है0 के 03 रूपये के लगान का 50 गुणा 150/– अक्षरे एक सौ पचास रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार परबतसर (नागौर)

तहसीलदार परबतसर

Scanned by CamScanner